मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
A Central University under Ministry of Education
Government of India

दिनांक 28.11.2025 को अपराह्न 03:30 बजे आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे -

1. प्रो.सैयद नजमुल हसन, अध्यक्ष
   प्रोफेसर, विज्ञान संकाय
2. डॉ.शगुफ़्ता परवीन, **सदस्य / संयोजक**
   हिन्दी अधिकारी, हिन्दी प्रकोष्ठ
3. प्रो. पठान रहीम खान, **सदस्य**
   विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग
4. डॉ.अश्वनी, **सदस्य**
   एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

सर्व-प्रथम संयोजक महोदया द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया और बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। डॉ.मु.मुस्तफ़ा अली सरवरी तथा डॉ. शाहिद जमाल बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

बिंदु सं.1. हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा की गई पिछली गतिविधियों का पुनरावलोकन।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हिन्दी अधिकारी(राजभाषा अधिकारी) द्वारा हिन्दी प्रकोष्ठ की पूर्व गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।

- सूचित किया गया कि, हिन्दी सप्ताह-2025 समारोह 11.09.2025 से 17.09.2025 तक मनाया गया, इसके अंतर्गत कई प्रतियोगिताओं (हिन्दी निबंध, कविता पाठ तथा कार्यशाला) का आयोजन किया गया।
- सूचित किया गया कि, हिन्दी सप्ताह के दौरान दिनांक: 15.09.2025 को **"हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का संबंध"** विषय पर हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा हिन्दी पारंगत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र(सर्टीफिकेट) वितरित किए गए।
- सभी विभागाध्यक्षों तथा अनुभागाध्यक्षों को विभागों/अनुभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन से संबंधित परिपत्र परिचालित कर दिया गया है।
- सूचित किया गया कि वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 का हिन्दी अनुवाद किया गया।
- हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय की अधिसूचनाएं, आदेशों, सूचनाओं, परिपत्रों, मानक मसौदों आदि को द्विभाषी रूप में तैयार कर समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जा रहा है।
- सूचित किया गया कि, हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय की हिन्दी वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

03.12.2025

बिंदु सं. 2. विश्वविद्यालय के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना।

सदस्यों ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के कार्यान्वयन से अवगत कराने तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के प्रचार-प्रसार के लिए सभी विभागों एवं अनुभागों में संबंधित परिपत्र जारी कर राजभाषा (हिन्दी) के प्रति जागरूक करने का सुझाव दिया तथा इस दिशा में हिन्दी प्राज्ञ तथा पारंगत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों द्वारा अपना सहयोग प्रदान किया जाए।

सदस्यों का सुझाव था कि, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय/यूजीसी तथा अन्य संस्थाओं से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में देने का प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा यह नियम का उल्लंघन होगा।

विश्वविद्यालय के कार्यालयों के नाम-पट्ट अद्यतन करने हेतु पहले एक तरफ हिन्दी और उसके नीचे अंग्रेज़ी तथा दूसरी तरफ पहले हिन्दी और उसके नीचे उर्दू में संबंधित कार्यालय का नाम लिखा जाना चाहिए ।

बिंदु सं. 3. तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संबंध में चर्चा ।

समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया गया कि, सितंबर; 2025 तक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट ,राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

बिंदु सं. 4. अध्यक्ष की आज्ञा से कोई भी अन्य मद।

सभी विभागों के कार्यालयों में राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान कर, हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना।

विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश सं. MANUU/Admn/F.110/2023/189, दिनांक: 22.12.2023, के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्यकाल दिनांक: 22.12.2025 को समाप्त होने जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप सभी सदस्यों का मत था कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया जाए ।

धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।

हिन्दी अधिकारी
सदस्य एवं संयोजक
मानू, हैदराबाद

03.12.2025